समयबद्ध/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या— / /अड़तीस—5—15

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
   उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
   यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक
   यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता,
   लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक,
   जल संस्थान, झांसी मण्डल, झांसी।
6. महाप्रबन्धक,
   जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

ग्राम्य विकास अनुभाग—5 दिनांकः 29 अप्रैल, 2015

विषयः एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन के अनुश्रवण हेतु पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के पोर्टल पर पंजीकरण एवं प्रशिक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या W-11042/1/2015/W-1 दिनांक 13.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त वित्तीय लेन—देन के अनुश्रवण हेतु पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) का पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल http://cpsms.nic.in पर कराया जाना अनिवार्य है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अंतर्गत खोले गये पृथक बैंक खाते को उक्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाना है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.04.2015 को प्रातः 10 बजे से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन जनपदों में किया जायेगा, जिसमें समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

4. समस्त कार्यदायी संस्थाओं के खण्ड अभियन्ता स्तर के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त पोर्टल पर विलम्बतम दिनांक 10.05.2015 तक पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है तथा उक्त पंजीकरण का अनुमोदन कार्यदायी संस्था के एक स्तर उच्चतर अधिकारी द्वारा कराया जाना अनिवार्य है।

5. यदि किसी कार्यदायी संस्था द्वारा शहरी क्षेत्र में भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो क्या शहरी/ग्रामीण बैंक खाते पृथक—पृथक खोले गये हैं, के संबंध में सूचना भी भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के उपरोक्त संलग्न पत्र दिनांक 13.04.2015 में दिये गये निर्देशों के कम में उपरोक्तानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

D:\2 Joshi\2015\So\GO-2015.docx

संख्या–U0.366(1)/अड़तीस–5–15, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. समस्त जिला विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जनपद स्तर के एम0आई0एस0 सलाहकार एवं लेखाकारों को उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करें।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

D:\2 Joshi\2015\So\GO-2015.docx